रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062026-273500
CG-DL-E-16062026-273500

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3004]	नई दिल्ली, सोमवार, जून 15, 2026/ज्येष्ठ 25, 1948
No. 3004]	NEW DELHI, MONDAY, JUNE 15, 2026/JYAISTHA 25, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2026

का.आ. 3125(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, यह समाधान हो जाने के बाद कि लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दी गई अनुसूची में दिया गया है, ओडिशा राज्य के कोरापुट जिले में कि.मी. 337.24 से कि.मी. 343.2 (स्थान/डाक: कोरापुट) तक के खंड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (पुराना एन.एच. 43) के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन/चार लेन आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन के लिए जयपुर एन.एच. बाईपास बनाने हेतु आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि के अधिग्रहण के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, राजपत्र (Official Gazette) में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के तहत पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर आपत्ति कर सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात डिप्टी कलेक्टर (राजस्व), कलेक्ट्रेट, कोरापुट को लिखित रूप में दी जाएगी और उसमें उसके आधार बताए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी आपत्तिblindकर्ता को स्वयं या किसी कानूनी व्यवसायी (वकील) के माध्यम से सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा ऐसी कोई अन्य जाँच, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, करने के पश्चात, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के तहत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के भूमि-नक्शे (Land plans) और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

ओडिशा राज्य के कोरापुट जिले में जयपुर एन.एच. बाईपास (Jeypore NH Bypass) के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन/चार लेन आदि), राष्ट्रीय राजमार्ग 26 (पुराना एन.एच. 43) के अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन के लिए कि.मी. 337.24 से कि.मी. 343.2 (स्थान/डाक: कोरापुट) तक के खंड में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: कोरापुट		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: जयपुर					
गांव का नाम: डुबुली					
1	195/335/735	निजी	घराबरी	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
2	206/1/408	निजी	घराबरी	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
गांव का नाम: जयपुर एल आर					
3	327/1360	निजी	डांगर-2 (प्राइवेट)	1.089711 (एकर)	0.441
4	335/2	निजी	पैडी-3 (प्राइवेट)	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
5	378	निजी	डांगर-2 (प्राइवेट)	0.069 (हेक्टेयर)	0.069
6	379/5316	निजी	पैडी-3 (प्राइवेट)	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
7	379/5317/8709	निजी	घराबरी (प्राइवेट)	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
8	380/5317	निजी	घराबरी (प्राइवेट)	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
9	380/5317/10140	निजी	घराबरी (प्राइवेट)	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
10	380/5317/6232	निजी	घराबरी (प्राइवेट)	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
11	380/5317/9851	निजी	घराबरी (प्राइवेट)	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
12	382/8260	निजी	घराबरी	0.033 (हेक्टेयर)	0.033
13	385/1/5026	निजी	डांगर-3 (प्राइवेट)	0.0255 (हेक्टेयर)	0.0255

14	385/1/5026/8795	निजी	घराबरी (प्राइवेट)	0.0162 (हेक्टेयर)	0.0162
15	550/1624/5859	निजी	मंगो टोप (प्राइवेट)	0.072 (हेक्टेयर)	0.072
16	550/1624/6434 & 550/1624/6435	निजी	मंगो टोप (प्राइवेट)	0.121 (हेक्टेयर)	0.121
17	550/5092	निजी	मंगो टोप (प्राइवेट)	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
18	550/6401	निजी	घराबरी	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
19	550/7899	निजी	घराबरी	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
20	563 & 563/3768	निजी	घराबरी (प्राइवेट)	0.526 (हेक्टेयर)	0.526
21	563/3768/8796	निजी	घराबरी (प्राइवेट)	0.00081 (हेक्टेयर)	0.00081
				Total	**1.78651**

[फा. सं. 12037/55/2015/ORS-P5/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2026

S.O. 3125(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building construcion of Jeypore NH Bypass (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH26(OLd NH 43) in the stretch of land from Km. 337.24 to Km. 343.2 (At/Po Koraput) in the district of KORAPUT in the state of ODISHA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Collector(Revenue), Collectorate, Koraput in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired for construcion of Jeypore NH Bypass (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH26(Old NH 43) in the stretch of land from Km. 337.24 to Km. 343.2 (At/Po Koraput) in the district of KORAPUT in the state of ODISHA

State: ODISHA			**District: KORAPUT**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Jeypore					
Village: Dubuli					
1	195/335/735	Private	Gharabari	0.012 (Hectare)	0.012
2	206/1/408	Private	Gharabari	0.02 (Hectare)	0.02
Village: Jeypore LR					
3	327/1360	Private	Dangar-2	1.089711 (Acre)	0.441
4	335/2	Private	Paddy-3	0.21 (Hectare)	0.21
5	378	Private	Dangar-2	0.069 (Hectare)	0.069
6	379/5316	Private	Paddy-3	0.032 (Hectare)	0.032
7	379/5317/8709	Private	Gharabari	0.024 (Hectare)	0.024
8	380/5317	Private	Gharabari	0.06 (Hectare)	0.06
9	380/5317/10140	Private	Gharabari	0.024 (Hectare)	0.024
10	380/5317/6232	Private	Gharabari	0.016 (Hectare)	0.016
11	380/5317/9851	Private	Gharabari	0.016 (Hectare)	0.016
12	382/8260	Private	Gharabari	0.033 (Hectare)	0.033
13	385/1/5026	Private	Dangar-3	0.0255 (Hectare)	0.0255
14	385/1/5026/8795	Private	Gharabari	0.0162 (Hectare)	0.0162
15	550/1624/5859	Private	Mango tope	0.072 (Hectare)	0.072
16	550/1624/6434 & 550/1624/6435	Private	Mango tope	0.121 (Hectare)	0.121
17	550/5092	Private	Mango tope	0.016 (Hectare)	0.016
18	550/6401	Private	Gharabari	0.04 (Hectare)	0.04
19	550/7899	Private	Gharabari	0.012 (Hectare)	0.012
20	563 & 563/3768	Private	Gharabari	0.526 (Hectare)	0.526
21	563/3768/8796	Private	Gharabari	0.00081 (Hectare)	0.00081
				Total	**1.78651**

[F. No. 12037/55/2015/ORS-P5/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.06.16 21:40:26 +05'30'